माननीय जे.जे. जी.आर. मजीठिया और जे.जे. एस.के. जैन समक्ष।

हरियाणा राज्य सहकारी निरीक्षक एवं उप-निरीक्षक संघ, रोहतक,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 13348

15 दिसंबर 1993

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 & 221—हरियाणा सहकारी विभाग समूह सी (कार्यकारी) नियम 1980- उक्त नियमों के प्रावधानों को प्रभावी नहीं बनाने के लिए प्रतिबंध का लेखन- सेवा में शामिल सांख्यिकीय सहायकों के पद जिन पर 1980 के नियम तृतीय श्रेणी (कार्यकारी शाखा) से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए लागू होते हैं- राज्य सेवा वर्ग III (कार्यकारी शाखा) के रूप में शामिल सांख्यिकीय सहायक द्वितीय श्रेणी सेवा में पदोन्नति के लिए पात्र होते हैं- नियम को इस आधार पर चुनौती दी गई कि याचिकाकर्ताओं की सेवा की शर्त उनके नुकसान के लिए भिन्न होती है (पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की खंड 82 के तहत आवश्यकतानुसार पूर्व अनुमोदन के बिना)।सांख्यिकीय सहायकों के पास पदोन्नति का अपना चैनल है और उन्हें राज्य सेवा वर्ग II (कार्यकारी शाखा) में शामिल नहीं किया जा सकता है- आयोजित प्रस्तुति किसी भी योग्यता से रहित है,

माना गया कि याचिकाकर्ताओं का सटीक आधार यह है कि सांख्यिकी सहायकों को राज्य सेवा वर्ग III (कार्यकारी शाखा) में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह आग्रह किया गया कि सांख्यिकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के रूप में पदोन्नति के पात्र हैं। उनके पास पदोन्नति

का अपना चैनल है और उन्हें राज्य सेवा, तृतीय श्रेणी (कार्यकारी शाखा) में नहीं लाया जा सकता है। प्रस्तुतीकरण किसी भी योग्यता से रहित है। संविधान के अनुच्छेद 309 का प्रावधान राज्यपाल को राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवा और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाता है। नियम बनाने का कार्य एक विधायी कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियम कानून का गठन करते हैं और उपयुक्त विधायिका द्वारा पारित अधिनियम के समान ही बल रखते हैं। यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि इन नियमों को बनाना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। राज्य के राज्यपाल को नियमों के तहत हरियाणा सहकारिता विभाग ग्रुप सी (कार्यकारी) में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है, सेवा को परिभाषित किया गया है और उन पदों को भी परिभाषित किया गया है जो सेवा में शामिल होंगे। सांख्यिकी सहायकों के पदों ने सेवा से समझौता किया। 1980 की नियमावली राज्यपाल के नियम बनाने के अधिकार में होने तथा सांख्यिकी सहायक के पद को सेवा में सम्मिलित किये जाने के कारण इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता। न्यायालय नियम बनाने वाले प्राधिकारी के विवेक पर चुप नहीं रह सकता।

(पैरा 6)

आगे कहा गया है कि इस आधार पर नियम को चुनौती दी गई है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 82 के तहत आवश्यक केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों को उनके नुकसान के लिए अलग-अलग किया गया है। प्रस्तुतीकरण किसी भी योग्यता से रहित है। यहां याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य सहकारी

निरीक्षक और उप-निरीक्षक संघ है। इसके सदस्यों का विवरण नहीं दिया गया है और न ही रिट याचिका में यह बताया गया है कि क्या इसका कोई सदस्य 1 नवंबर 1966 से पहले सेवा में था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 82 के तहत सुरक्षा केवल ऐसे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो 1 नवंबर 1966 को सेवा में थे। इसके अलावा, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पदोन्नति की संभावना सेवा की शर्त नहीं बनती है क्योंकि संभावना पदोन्नति सेवा की शर्त नहीं है (इस संबंध में द स्टेट ऑफ मैसूर एंड अदर बनाम जी.एन. पुरोहित एंड अदर 1967 एसएलआर 753: द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर वी. चंद्रकांत अनंत कुलकर्णी एंड अदर, 1981 (3) एस.एल.आर. 326) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखें)

(पैरा 12)

आर के गुप्ता. याचिकाकर्ता के लिए वकील।

पी. एस. कादियान डी.ए.जी. हरियाणा और एम. एम. कुमार, वकील। साथ

पवन कुमार। निजी प्रतिवादी के लिए वकील।

न्याय

जी. आर. मजीठिया, जे.

A. हरियाणा राज्य सहकारी निरीक्षक और उप-निरीक्षक संघ (विनियमित)।रोहतक के मुख्य कार्यालय ने अपने अध्यक्ष द्वारा से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 से हरियाणा सहयोग विभाग समूह-सी (कार्यकारी) नियम, 1980 के प्रावधानों को प्रभावी नहीं बनाने के लिए निषेध की रिट की मांग की

है, जहां तक कि सांख्यिकीय सहायक के पद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत इस याचिका में इन नियमों के तहत 'सेवा' की परिभाषा में शामिल किया गया है।

B. पंजाब राज्य संबद्धता सेवा नियम, 1936 (पंजाब राज्य संबद्धता सेवा नियम, 1936) में तीन भाग शामिल हैं। इन पैमानों के भाग I को पूरे पंजाब में साझीदारों की सेवाओं पर सामान्य दर्जे के रूप में लागू किया जाता है। भाग II एसोसिएट्स के पर्यवेक्षकों और एसोसिएशन औद्योगिक उद्यमों के उप-निरीक्षकों जैसे क्षेत्रीय अभियोजकों की सेवाओं से संबंधित है और इसे कार्यकारी के रूप में जाना जाता है। भाग III लिपिकीय कर्मचारियों से संबंधित है। इन इंस्टीट्यूट को हरियाणा सरकार द्वारा नामांकित किया गया था, अधिसूचना संख्या, एफएसआर-145/संविधान/अनुच्छेद 309 I /Amd/72, दिनांक 9 जून 1972 और 1936 , प्रचार और प्रसार सहित) भूमि उप-निरीक्षकों, सहायक अभियंताओं को प्रतिस्थापित किया गया। हरियाणा के राज्यपाल ने भारत के संविधान के 309 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य विभाग समूह सी (कर्मचारी) में नियुक्त लोगों की भर्ती और सेवा की क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए। इन प्रोजेक्ट को "हरियाणा सहायता विभाग ग्रुप सी (कार्यकारी) नियम, 1980" कहा गया है (संक्षेप में 1980 के नियम) इन प्रोजेक्ट का नियम 2 परिभाषाओं से संबंधित है। नियम 2 का खंड (जी) 'सेवा' बताता है कि इसका अर्थ हरियाणा सहायता विभाग ग्रुप सी (कार्यकारी) सेवा है। नियम 3 में कहा गया है कि सेवा में इन नवीनीकृत के परिशिष्ट 'ए' में शामिल पद शामिल होगा। परिशिष्ट 'ए' में निम्नलिखित पद दर्शन दिए गए हैं:

(i) व्याख्याता;

(i) सांख्यिकीय सहायक;

(i) निरीक्षक (सांख्यिकी);

(i) निरीक्षक; और

(i) उप-निरीक्षक।

नियम 6 में परिकल्पना की गई है कि सेवा में पदों पर नियुक्ति मामले में पंजीयक, सहकारी समितियों, हरियाणा द्वारा की जाएगी। अतिरिक्त पंजीयक, (मुख्यालय), सहकारी समितियाँ, हरियाणा द्वारा व्याख्याताओं, निरीक्षकों, सांख्यिकीय निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों के कार्यालय में उप-निरीक्षकों के मामले में और उप-निरीक्षकों के मामले में, जो पंजीयक, सहकारी समितियों के कार्यालय में हैं, सहकारी समितियों के उप-पंजीयक द्वारा, संबंधित नियम 9 में कहा गया है कि सेवा में भर्ती निम्नानुसार की जाएगीः—

" (i) पदोन्नति द्वारा 66-2/3 प्रतिशत;

(i) 33-1/3 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा या किसी अधिकारी/अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो पहले से ही किसी की सेवा में है।

A. राज्य सरकार या भारत सरकार" नियम 11 सेवा के सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता का प्रावधान करता है। नियम 21 इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले सेवा पर लागू संबंधित नियमों को निरस्त करता है।

B. पंजाब राज्य सहकारी सेवा वर्ग II, नियम 1958 (संक्षेप में 1958 नियम) पंजाब राज्य सहकारी सेवा, वर्ग I. L. में नियुक्ति को विनियमित करता है इन नियमों के नियम 2 के खंड (च) के तहत, सेवा को पंजाब राज्य सहकारी सेवा, वर्ग II (इसके बाद वर्ग II सेवा के रूप में संदर्भित किया

जाएगा) के रूप में परिभाषित किया गया है।इन नियमों के तहत द्वितीय श्रेणी की सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'ए' में निर्दिष्ट पद शामिल हैं और इसमें निम्नलिखित पदों का उल्लेख मिलता हैः —

(1)सहायक पंजीयक;

(1)महिला सहायक पंजीयक;

(1)प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य;

(2)चमड़ा उत्पादन और चमड़ा निर्यात औद्योगिक सहकारी समितियाँ।

1958 का नियम 5 प्रथम श्रेणी की सेवा में भर्ती की विधि से संबंधित है।इसमें कहा गया है कि सेवा के सदस्यों की भर्ती निम्नानुसार की जाएगीः—

(a)राज्य सेवा, तृतीय श्रेणी से पदोन्नति द्वारा, या

(a)प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा; या

(a)पहले से ही राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति का स्थानांतरण *

A. सांख्यिकी सहायक का पद 1980 के नियमों में शामिल होने से पहले एक एक्स-कैडर पद था। 1958 नियमावली के नियम 2(जी) के साथ पठित नियम 5(ए) के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के पद पर पदोन्नति राज्य सेवा वर्ग आईएलएफ से की जानी है। राज्य सेवा वर्ग 111 का अर्थ है पंजाब राज्य सहकारी सेवा वर्ग 111 (कार्यकारी शाखा)। राज्य सेवा, तृतीय श्रेणी (कार्यकारी शाखा) का गठन 1980 के नियम के तहत किया गया है। द्वितीय श्रेणी सेवा में पदोन्नति के लिए 1980 नियमों के परिशिष्ट 'ए' में दर्शाए गए पद धारण करने वाले सभी पदधारी

विचार के पात्र हैं। सांख्यिकी सहायकों को राज्य सेवा, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक शाखा) में सम्मिलित किया गया है। सांख्यिकी सहायक, राज्य सेवा, तृतीय श्रेणी (कार्यकारी शाखा) के सदस्य बन गए हैं, जो 1958 के नियमों के नियम 5 के तहत द्वितीय श्रेणी सेवा में पदोन्नति के लिए विचार करने के पात्र बन गए हैं।

B. याचिकाकर्ताओं की सटीक शिकायत यह है कि सांख्यिकी सहायकों को राज्य सेवा वर्ग III (कार्यकारी शाखा) में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह आग्रह किया गया कि सांख्यिकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के रूप में पदोन्नति के पात्र हैं। उनके पास पदोन्नति का अपना चैनल है और उन्हें राज्य सेवा, तृतीय श्रेणी (कार्यकारी शाखा) में नहीं लाया जा सकता है। प्रस्तुतीकरण किसी भी योग्यता से रहित है। संविधान के अनुच्छेद 309 का प्रावधान राज्यपाल को राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाता है। नियम बनाने का कार्य एक विधायी कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियम कानून का गठन करते हैं और उपयुक्त विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के समान ही बल रखते हैं। यह सुझाव नहीं दिया गया है कि इन नियमों को बनाना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। राज्य के राज्यपाल के पास हरियाणा सहकारिता विभाग ग्रुप सी (कार्यकारी) में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। नियमों के तहत, सेवा को परिभाषित किया गया है और उन पदों को भी परिभाषित किया गया है जो सेवा में शामिल होंगे। सांख्यिकी सहायकों के पदों में सेवा शामिल थी। 1980 की नियमावली राज्यपाल के नियम बनाने के अधिकार में होने तथा सांख्यिकी सहायक के पद को सेवा में सम्मिलित किये जाने के कारण इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता। न्यायालय नियम बनाने वाले

प्राधिकारी के विवेक पर चुपचाप नहीं बैठ सकता।

C. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी बताया कि 1939 की सिविल रिट याचिका संख्या 9959 एक लाभ सिंह और तीन अन्य, हरियाणा राज्य में सहकारी समितियों के सभी निरीक्षकों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पद पर पदोन्नति के लिए सांख्यिकीय सहायकों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। . उस मामले में राज्य के वकील ने कहा था कि सांख्यिकी सहायकों को सहायक रजिस्ट्रार के रूप में पदोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। राज्य उस मामले में की गई स्वीकृति से बाध्य है और सांख्यिकी सहायकों को द्वितीय श्रेणी सेवा में पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। उत्तरदाताओं ने अपने लिखित बयान में बताया है कि एक सांख्यिकी सहायक को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया और संदर्भ को अस्वीकार कर दिया गया। ऐसी स्थिति में, हरियाणा के महाधिवक्ता को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार के पास उस समय सांख्यिकी सहायक को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। सरकार ने कभी नहीं कहा कि सांख्यिकी सहायक द्वितीय श्रेणी सेवा में पदोन्नति के लिए विचार के पात्र नहीं हैं। यह बयान उस मामले में दिया गया था जब सांख्यिकी सहायक को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत करने का प्रस्ताव गिर गया था। वी'ई ने माना है कि 1980 के नियम राज्यपाल की विधायी क्षमता के अंतर्गत हैं। सांख्यिकी सहायक का पद उस सेवा में शामिल किया गया है जिस पर 1980 के नियम लागू होते हैं, राज्य सेवा, कक्षा HI (कार्यकारी शाखा) के सदस्य द्वितीय श्रेणी सेवा में पदोन्नति के हकदार हैं। राज्य सेवा वर्ग III (कार्यकारी शाखा) में लाए गए और शामिल किए गए सांख्यिकी सहायक वर्ग टीआई सेवा में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

D. यह निस्संदेह सही है कि सांख्यिकी सहायक का पद 1936 के नियमों के अंतर्गत नहीं आया था। तथापि, उक्त नियमों का नियम 3 निम्नानुसार हैः—

‘ “3. पदों की संख्या और चरित्रः

' सेवा में परिशिष्ट ए और बी में दिखाए गए पद शामिल होंगे। परिशिष्ट ए और बी में निर्दिष्ट कोई भी नियुक्ति रखने वाला सेवा सदस्य, अपनी नियुक्ति में शामिल होने की तारीख से, परिशिष्ट में दिखाए गए वेतन का हकदार होगा।इन नियमों में कुछ भी 31 दिसंबर के बाद सेवा में प्रवेश करने वालों के लिए स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से सेवा के संवर्ग में वृद्धि या कटौती करने और परिशिष्टों में निर्धारित वेतन के पैमाने को स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बढ़ाने या कम करने के सरकार के अंतर्निहित अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।1930.”

इस नियम को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि सरकार को संवर्ग में वृद्धि या कटौती करने का अंतर्निहित अधिकार है। स्थायी या अस्थायी रूप से सेवा।मान लीजिए कि सरकार ने राज्य सेवा, कक्षा 111 में सांख्यिकीय सहायकों के पद का सृजन किया है।पदों के निर्माण से सेवा के संवर्ग में एक मानित जोड़ होता है जब तक कि पद विशेष रूप से एक असाधारण पद के रूप में नहीं बनाया जाता है।उपरोक्त स्थिति में नियमों के परिशिष्ट को संशोधित माना जाता है और कोई औपचारिक आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। ***अनूप सिंह, मुख्य ड्राफ्ट्समैन, जिला परिषद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य***[1]***,*** *के* रूप *में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय* के निर्णय पर रिलायंस को रखा जा सकता है, जहां यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः—

[1] **(1) 1969 एस. एल. आर. 850**

"समग्र रूप से लिए गए उपरोक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि मुख्य ड्राफ्ट्समैन के पद के सृजन के लिए एक करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। 200-300 सेवा नियमों के नियम 3 (2) प्रावधान के तहत सरकार द्वारा दिया गया था।यद्यपि सरकार ने संलग्नक 'ख' के अनुसार मंजूरी देते समय नियम 3 का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है, फिर भी जिन अन्य दस्तावेजों के लिए विशेष रूप से संलग्नक एच/एल का संदर्भ दिया गया है, वे सभी तरह के संदेह से परे दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता को सेवा नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग की मंजूरी और जिला परिषद की सिफारिश के साथ सरकार के आदेशों के तहत उस नव सृजित पद के लिए प्रमुख ड्राफ्ट्समैन के रूप में नियुक्त किया गया था।इस प्रकार, निहितार्थ से सरकार ने नियम 3 (2) के प्रावधान के तहत सेवा के संवर्ग में प्रमुख ड्राफ्ट्समैन के पद को जोड़ा था।परिशिष्ट 'बी' के फुट-नोट से आगे पता चलता है कि केवल यह तथ्य कि सरकार के किसी भी आदेश के अनुसार एक नया पद स्वीकृत करने या जोड़ने के लिए परिणामी मंत्री परिवर्तन परिशिष्ट 'ए' में नहीं किए गए हैं, महत्वहीन होगा।यह एक मंत्रिस्तरीय कार्य है।जैसे ही सरकार द्वारा कोई मंजूरी दी जाती है, सेवा परिशिष्ट 'ए' के संवर्ग में एक नया पद जोड़ने के लिए वास्तविक स्वीकृत संख्या की सीमा तक स्वचालित रूप से संशोधित किया गया माना जाएगा।"

A. अनूप सिंह के मामले (उपरोक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश *द्वारा लिए गए* दृष्टिकोण की **डॉ. एन. सी. सिंघल बनाम भारत संघ**[2] **,** *में शीर्ष न्यायालय* द्वारा *निहित रूप से* पुष्टि की गई थी, जहां यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया थाः—

"एक बार जब एक नया पद बनाया जाता है और यह उस संवर्ग की संख्या में वृद्धि होती है जिसमें पद बनाया जाता है, तो उस संवर्ग में प्रत्येक व्यक्ति जिसमें पद

[2]**1980(2) एस.एल.आर 118**

बनाया जाता है, उस पद को भरने के लिए पात्र होता है और स्थानांतरण की अनुमति होती है।"

तदनुसार, सांख्यिकीय सहायकों को 1936 के नियमों के तहत तृतीय श्रेणी की सेवा का एक हिस्सा माना जाता है और इसलिए वे द्वितीय श्रेणी की सेवा में पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

A. 1980 के नियमों का नियम 21, 1936 के निरस्त नियमों के तहत किए गए किसी भी आदेश या की गई कार्रवाई को बचाता है और कहता है कि 1936 के नियमों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई का कोई भी आदेश 1980 के नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत जारी या लिया गया माना जाएगा। तदनुसार, 1980 के नियमों से पहले द्वितीय श्रेणी सेवा में की गई किसी भी पदोन्नति को उक्त नियमों के नियम 21 द्वारा बचाया जाएगा क्योंकि इसे 1980 के नियमों के तहत किया गया माना जाएगा।

B. विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि आर.एस. मोंगिया, जे. द्वारा **रामेश्वर दास, सांख्यिकीय सहायक और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (सिविल रिट याचिका संख्या 4196/1983) मामले में 13 जुलाई, 1992** को फैसला सुनाया गया था। यह माना गया कि सांख्यिकी सहायक द्वितीय श्रेणी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र थे, इससे वे बाध्य नहीं होते क्योंकि उन्हें उस रिट याचिका में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। प्रस्तुतीकरण में कोई योग्यता नहीं है. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां किसी क़ानून की व्याख्या के लिए प्रार्थना की जाती है और किसी विशेष व्यक्ति के लिए कोई राहत नहीं मांगी जाती है, जो मामले के निर्णय से प्रभावित हो सकता है, वहां कोई भी व्यक्ति आवश्यक पक्ष नहीं है। ***ए.***

जनार्दन बनाम भारत संघ और अन्य[3] में, शीर्ष न्यायालय ने इस प्रकार कहा: -

"यह तर्क दिया गया कि जिन सदस्यों ने 1974 की वरिष्ठता सूची में अपीलकर्ता पर बढ़त हासिल की है, उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है, अपीलकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में कुल 418 उत्तरदाता थे। उनमें से, पहले दो भारतीय संघ और इंजीनियर-इन-चीफ सेना मुख्यालय थे, और बाकी संभवतः वे लोग होंगे जिन्हें अपीलकर्ता से वरिष्ठ दिखाया गया होगा। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक आदेश द्वारा, उत्तरदाताओं 3 से 418 तक के नाम हटा दिए गए क्योंकि इन याचिकाओं को दायर करने के बाद उनके स्थानांतरण पर उनके वर्तमान पते का पता लगाने में कठिनाई के कारण उन्हें नोटिस नहीं दिया जा सका। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि श्री चितकारा के नेतृत्व में कुछ सीधी भर्ती वाले वकील श्री मुरलीधर राव के माध्यम से उपस्थित हुए और सीधी भर्ती वाले लोगों की ओर से प्रस्तुतियाँ दी थीं। इसके अलावा श्री टी. सुधाकर के नेतृत्व में 9 सीधी भर्ती द्वारा इस न्यायालय में पक्षकार के रूप में शामिल होने के लिए एक आवेदन किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया और श्री पी.आर. मृदुल, विद्वान वरिष्ठ वकील उनके लिए उपस्थित हुए। इसलिए, सीधी भर्ती का मामला अप्रस्तुत नहीं हुआ है और इस संक्षिप्त आधार पर विवाद को नकारा जा सकता है। हालाँकि, एक अधिक ठोस कारण है कि हम इस विवाद का समर्थन क्यों नहीं करेंगे। इस मामले में, अपीलकर्ता उस व्यक्ति द्वारा विवादित किसी विशेष तथ्य की पृष्ठभूमि में किसी विशेष व्यक्ति पर वरिष्ठता का दावा नहीं करता है जिसके खिलाफ दावा किया गया है। तर्क यह है कि विवादित वरिष्ठता सूची तैयार करने में केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड

[3] **1983(2) एस.एल.आर. 113.**

अमान्य और अवैध हैं और केंद्र सरकार द्वारा पहले से तैयार की गई वैध सूची को स्थापित करने या रद्द करने से रोकने और विवादित वरिष्ठता सूची को रद्द करने के खिलाफ राहत का दावा किया गया है। . इस प्रकार राहत का दावा केंद्र सरकार के विरुद्ध किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं। इस पृष्ठभूमि में, हम सभी सीधी भर्ती वाले लोगों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करना अनावश्यक मानते हैं, हम इस संबंध में ***महाप्रबंधक, स्मिथ सेंट्रल बेलवे, सिकंदराबाद और अन्य आदि बनाम ए.वी. सिद्धांती और अन्य आदि***[4] का उल्लेख कर सकते हैं। (4)। अपीलकर्ता की ओर से इस तर्क को खारिज करते हुए कि रिट याचिकाकर्ताओं ने लगभग 120 कर्मचारियों को पक्षकार नहीं बनाया, जो मामले में निर्णय से प्रभावित होने की संभावना थी, इस न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी (मूल याचिकाकर्ता) संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के आधार पर उन नीतिगत निर्णयों की वैधता पर महाभियोग लगा रहे हैं। . ये कार्यवाही उन कार्यवाही के अनुरूप हैं जिनमें सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता को विनियमित करने वाले वैधानिक नियम की संवैधानिकता पर हमला किया जाता है। ऐसी कार्यवाहियों में, पक्षकार बनाए जाने वाले आवश्यक पक्ष वे होते हैं जिनके विरुद्ध राहत मांगी जाती है, और जिनकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी निर्णय नहीं दिया जा सकता है। मामले को इस दृष्टिकोण से देखने पर, यह देखा जा सकता है कि राहत केवल भारत संघ और संबंधित मंत्रालय के खिलाफ मांगी गई है, न कि किसी व्यक्ति या किसी वरिष्ठता के खिलाफ। दावा किया गया है - किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य विशेष व्यक्ति के खिलाफ और इसलिए, भले ही तकनीकी रूप से सीधी भर्ती अदालत के समक्ष नहीं थी, याचिका उस आधार पर

---

[4]**(1974) 3 एस.सी.आर. 207 पर 212.**

विफल होने की संभावना नहीं है। इस अतिरिक्त कारण के उत्तरदाताओं के तर्क को भी अस्वीकार किया जाना चाहिए।"

A. विद्वान वकील की निष्पक्षता में, उन्होंने इस आधार पर नियम को चुनौती दी कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आरबीई की धारा 82 के तहत आवश्यक केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना याचिकाकर्ताओं की सेवा की शर्तों को उनके नुकसान के लिए बदल दिया गया है। . प्रस्तुतीकरण किसी भी योग्यता का लाभ है. यहां 'याचिकाकर्ता' हरियाणा राज्य सहकारी निरीक्षक और स्टैब-इंस्पेक्टर एसोसिएशन है। इसके सदस्यों का विवरण नहीं दिया गया है, या रिट याचिका में यह कहा गया है कि क्या इसका कोई सदस्य 1 नवंबर 1966 से पहले सेवा में था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 के तहत सुरक्षा केवल यह ऐसे कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो 1 नवंबर 1966 को सेवा में थे। इसके अलावा, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पदोन्नति की संभावना सेवा की शर्त नहीं है क्योंकि पदोन्नति की संभावना सेवा की शर्त नहीं है। (इस संबंध में **मैसूर राज्य और अन्य बनाम जी.एन. पुरोहित और अन्य**[5], **महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम चंद्रकांत अनंत कुलकर्णी और अन्य**[6] में शीर्ष न्यायालय के फैसले देखें।

B. 1980 के नियमों के सही विश्लेषण पर, हम मानते हैं कि सांख्यिकी सहायक तृतीय श्रेणी सेवा का हिस्सा हैं।

C. ऊपर बताए गए कारणों से, हमें इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती और इसे खारिज कर दिया जाता है।

आर.एन.आर.

---

[5]**1967 एसएलआर 753।**
[6]**1981 (3) एसएलआर 326।**

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा